an>

Title: Regarding inclusion of '‘Mundari' language in the Eighth Schedule to the Constitution.

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर): महोदया, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।...(व्यवधान) आदिवासी जनजाति में एक मुंडारी भाषा है।...(व्यवधान) प्राचीन काल से ही पूर्वी भारत में मुंडारी भाषा बोली जाती है।...(व्यवधान) भगवान बिरसा मुंडा इसी समाज एवं भाषा से आते हैं।...(व्यवधान) उन्होंने आदिवासियों के अधिकार एवं स्वतंत्रता आन्दोलन में अपनी जान की आहूति दी थी।...(व्यवधान) अभी तक इस भाषा को मान्यता नहीं मिली है।...(व्यवधान) उक्त भाषा देश के विभिन्न राज्य जैसे झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में बोली जाती है।...(व्यवधान) इस भाषा को बोलने वाले लोगों की जनसंख्या लगभग 6-7 करोड़ है।...(व्यवधान) लगभग 300 स्कूलों में मुंडारी भाषा में पढ़ाई होती है।...(व्यवधान) झारखंड के रांची में स्थित रांची विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट से पी.जी. तक की पढ़ाई मुंडारी भाषा में होती है।...(व्यवधान) आदिवासी भाई-बहनों की यह वर्षों पुरानी माँग है कि मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करते हुए इसे द्वितीय राज्य भाषा की मान्यता दी जाए।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से माँग करता हूँ कि मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करते हुए इसे द्वितीय राज्य भाषा की मान्यता दिलाने की कृपा की जाए।...(व्यवधान) धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैंरो प्रसाद मिश्र,

श्री लखन लाल साहू,

श्री रवीन्द्र कुमार जेना और

श्री निशिकान्त दुबे को श्री विद्युत वरण महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।